मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत् पात्र लाभुकों को एकमुश्त रू0 100000/- रूपये की सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरूष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरूष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा| यदि ऐसी विवाह में पति/पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अन्तर्जातीय विवाह करतें हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ साथ अन्तर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरुप यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अन्तर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह – दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले आवेदक को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

इस योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

लाभुक की पात्रता

- बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों या बिहार में कम-से-कम 10 वर्ष से रह रहे हों।
- नि:शक्त वर या वधू की दिव्यांगता **40% या उससे अधिक** होनी चाहिए।
- वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक एवं वधू की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- योजना की राशि नि:शक्त वर/नि:शक्त वधू के खाते में जमा की जाएगी। वर एवं वधू दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में वधू के खाते में जमा की जाएगी।
- अनुदान 3 वर्षों की अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा।

अनुदान का प्रावधान

1,00,000 रुपये

ऑफलाइन आवेदन: वर या वधू अपने गृह जिला के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नम्बर 6122506068 पर संपर्क करें।

/iprdbihar @iprd_bihar